यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क.नि.) - VI वा णज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क.नि.) - VI वा णज्य कर, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 08.01.2018 से 17.01.2018 तक श्री एन.के. सन्हा लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा नि खल गोस्वामी (व.ले.प.), श्री वनय द् ववेदी (ले.प.अ), श्री हिमांशु म ण सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 18.11.2016 से 28.11.2016 तक तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व
2014-15	21184
2015-16	28237
2016-17	31462

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- आयुक्त कर- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में डोईवाल, क्लेमेनटाऊन, मसूनी त्यागी रोड़ पैट्रोल, डजल, वाईन, मे डसन। को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क.नि.) - **VI** वा णज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

व्ययः - 03/2017

राजस्वः - 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट,

1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग **2**(क)

प्रस्तर स: **1 –** कर का न्यूनारोपण **₹ 167.89** लाख|

उत्तराखंड मूल्यव र्धत कर अ धनयम 2005 की धारा 2(21) के प्रावधानों के अनुसार् वनिर्माण से ऐसे कार्यकलाप अ भप्रेत हे जो कसी वस्तु में कोई परिवर्तन लाता है या जिसके परिणाम स्वरूप कसी नयी और भन्न वस्तु, जैसा की व्यवसायिक भाग में समझा जाता है में रूपांतरण हो जाता है, और इसमें कसी माल का उत्पादन करना,बनाना ,खनन , संग्रहण, निस्करसन, परिवर्तन, अलंकरण, परिरुपन, सयोजन या अंन्यथा प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलन भी सम्मि लत है, कन्तु इसके अंतर्गत वनिर्माण की कोई ऐसी प्र क्रया या पद्धति जो वहित की जाये स मल्लित नहीं होगी;

उत्तराखंड मूल्यव र्धत कर अ धनयम 2005 की धारा 4(2) के प्रावधानों के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री पर 12.5% (01.04.2010 से 13.5%) की दर से कर आरोपणीय होगा|

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क नि) –VI वा णज्य कर देहरादून के अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री ए शयन कलर शीट देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2013-14 एवं 2014-15 जो क ‘कलर कोटेड स्टील शीट्स ‘ का क्रय कर उसमे फेब्रिकेशन कार्य के द्वारा कलर कोटेड टाइल्स बनाकर अंतिम उत्पाद के रूप मे वक्रय कया जाता था, द्वारा संगत वर्षो में कुल ₹ 188648533/- के कलर कोटेड टाइल्स की बिक्री की गयी, जिस पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा 4%, 4.5%, एवं 5% की दर से कर आरो पत कया गया था (सूची संलग्न) जब क उपरोक्त वस्तु पर 13.5% की दर से कर अरोपणीय था|

सम्प्रेक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर कर निर्धारण अ धकारी द्वारा बताया गया क संद र्भत वस्तु केंद्रीय बिक्री कर अ धनियम, 1956 की धारा 14 व मूल्यव र्धत

कर अ धनियम 2005 की अनुसुची II –B के क्रमांक 40 से आच्छादित होने के कारण उसपर वर्गीकृत वस्तुओ की तरह कर देयता थी|

उत्तर मान्य नहीं था , क्यों क व्यापारी द्वारा जिस वस्तु की बिक्री की जा रही थी वह अंतिम उत्पाद के रूप में ‘कलर कोटेड टाइल्स ‘ थी , जो केंद्रीय बिक्री कर अ धनियम 1956 की धारा 14 / मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की अनुसुची - के क्रमांक 40 से आच्छादित नही थी |

इस प्रकार संद र्भत प्रकरण में कुल ₹ 16789083/- का अतिरिक्त कर देय था| जिसपर नियमानुषर ब्याज भी आरोपनीय होगा|

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है|

संलगन

<u>व्योहारी का नाम : सर्वश्री ए शयन कलर शीट, देहरादून</u>

	कर निर्धारण वर्ष	आरो पत कर	आरोपणीय कर **(@13.5%)**	अतिरिक्त उद्ग्रहणीय कर
2010-11	33242552	1329702 (@4%)	4487745	3158043
	17250	776 (@4.5%)	2329	1553
2011-12	42144601	1685784 (@4%)	5689521	4003737
2013-14	71867174	3593359 (@5%)	9702068	6108709
2014-15	41376956	2068848 (@5%)	5585889	3517041
Total	188648533			16789083

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-01 कर का अनारोपण ₹ 5.83 लाख

उत्तराखंड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के प्रावधानों के अंतर्गत कसी भी अनुसुची से भन्न वस्तु की बिक्री पर करदेयता 12.5% की दर से निर्धारित की गयी है, दिनांक 01.04.2010 से अवर्गीकृत वस्तुओ पर 1% की अतिरिक्त कर देयता होगी|

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क नि) –VI वा णज्य कर देहरादून के अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री आर के ट्रे डंग कंपनी देहरादून कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा ₹ 4318110/- की 'चोलाई' की बिक्री कर मुक्त की गई थी जब क उत्तराखंड शासन की अ धसूचना संख्या 438/2015/120(120)/XXVII(8)/2007 दिनाक 23/07/2015 के द्वारा चोलाई को कर मुक्त वस्तु की श्रेणी मे रखा गया था | अर्थात उक्त ति थ से पूर्व चोलाई की बिक्री पर कर देयता 13.5% की दर से निर्धारित थी |

अत: ₹ 4318110/- की चोलाई की बिक्री पर 13.5% की दर से ₹ 582945/- का कर आरोपणीय होगा | साथ ही नियामानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा |

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया क चोलाई वस्तुत: मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 के अंतर्गत अनुसुची I के क्रमांक स: 17से अच्छादित वस्तु है | जिसे राम दाना के नाम से भी जाना जाता है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क उत्तराखंड शासन के उपरोक्त शासनादेश मे स्पष्ट रूप से "चोलाई" को कर मुक्त कया गया था|

अत: प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है|

भाग 2(ख)

प्रस्तर स-02 अर्थदण्ड का अनारोपन ₹ 0.74 लाख

उत्तराखंड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत कसी व्यापारी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया है तो वह देय कर का कम से कम 10% कन्तु अ धक से अ धक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अ धक हो का दायी होगा|

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क नि) –VI वा णज्य कर देहरादून के अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क 04 व्यापारियो द्वारा व भन माहों में देय कर की कुल रा श ₹ 741277 को वलंब से जमा कया गया था|

(ववरण सलगन) अत: वलम्ब से जमा कर की रा श पर अ धनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार ₹ 74127.7 का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो आरो पत नहीं कया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क नियमानुसार कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा|

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु लाया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

क्र स.	व्यापारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की दिनाक	कर की धनरा श	आरोपनीय अर्थदण्ड
1.	सर्वश्री बिटू एजेंसी, धर्मपुर देहरादून टिन : 05005735441	2012-13	Q3(Oct-Dec)	05.03.2013	152842	15284.20
			Q4(Jan-Mar)	29.05.2013	150000	15000.00
2.	सर्वश्री मदान मे डकोज, देहरादून टिन :05006547428	2013-14	Q1(Apr-Jun)	23.09.2013	30353	3035.30
			Q2(Jul-Sep)	30.10.2013	16220	1622.00
3.	सर्वश्री ए शयन कलर शीट, देहरादून टिन:05007291127	2010-11	Oct-2010	01.12.2010	96674	9667.4
			Dec-2010	04.02.2011	164284	16428.40
4.	सर्वश्री ए शयन कलर शीट, देहरादून टिन:05007291127	2011-12	May-2011	05.07.2011	130904	13090.40
Total					**741277**	**74127.7**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

	प्रारम्भ की स्थिति		अवशेष	
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
SRG/CT-03/2006-07	-	1,2,3	-	1,2,3
SRG/CT-38/2009-10	-	1	-	1
SRG/CT-04/2011-12	1	1,3,4	1	1,2,3,4,5
RS/CT-03/2012-13	1	3,5	1	3,5
RS/CT-31/2013-14	1,2,3	-	1,2,3	-
RS/CT-40/2014-15	1,2	1	1,2	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डप्टी क मश्नर (क.नि.) - **VI** वा णज्य कर, देहरादून तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनीष मश्रा	डप्टी क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क.नि.) - **VI** वा णज्य कर, देहरादून को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र